जनसंख्या स्थायीकरण

हम सफल हो सकते हैं?

राजस्थान प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या चिन्ता का विषय रहा है। यह समस्या अधिक विकट इसलिए है क्योंकि राजस्थान उन प्रदेशों में से एक है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। राजस्थान में देश का लगभग एक प्रतिशत जल है, जबकि जनसंख्या करीब पांच प्रतिशत है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति को देखने पर यह मालूम होता है कि 1898 में इस प्रदेश की जनसंख्या एक करोड़ थी, 1961 में बढ़कर दो करोड़ हो गई, अर्थात् जनसंख्या में एक करोड़ की वृद्धि होने में लगभग 63 वर्ष लगे। किन्तु आश्चर्य की बात है कि इसे तीन करोड़ होने में अर्थात् अन्य एक करोड़ की वृद्धि होने में मात्र 16 वर्ष लगे। इसके ग्यारह वर्ष पश्चात् अर्थात 1988 में यहां की जनसंख्या चार करोड़ हो गई थी तथा मई 1996 में यह पांच करोड़ हो गई है। राजस्थान जहां 1971 तक जनसंख्या की दृष्टि से पूरे राष्ट्र में दसवें स्थान पर था, वहीं 1981 में गुजरात, राजस्थान से एक कदम पीछे अर्थात् दसवें स्थान पर आ गया तथा राजस्थान तभी से नवें स्थान पर बना हुआ है। जहां 1951-61 के दशक में प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4 लाख की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं वर्तमान में करीब 12 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रदेश की जनसंख्या में जुड़ रहे हैं, अर्थात् तीन गुणा अधिक। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित नहीं किया गया, तो केवल सात वर्ष की अल्पावधि में ही जनसंख्या में एक करोड़ व्यक्ति और जुड़ जाएंगे। इस प्रकार सन् 2003 में राजस्थान की जनसंख्या छः करोड़ को पार कर जाएगी। विभिन्न आयुवर्गों में जनसंख्या का विभाजन किस प्रकार है, इस बात का जनसंख्या वृद्धि की दर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि विभिन्न आयु-वर्गों में जनसंख्या को देखें, तो जनसंख्या में करीब 40 प्रतिशत व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु के हैं तथा लगभग 47 प्रतिशत महिलाएं प्रजनन योग्य आयु [15-49 वर्ष] में है। इसके साथ ही राज्य विषम सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियों, विशेषकर बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी आदि समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि जनसंख्या वृद्धि में सहायक सिद्ध होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन परिस्थितियों को देखते हुए अगली शताब्दी के मध्य [2040-41] तक प्रदेश की जनसंख्या दस करोड़ के आस-पास पहुंच जाएगी।

ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनवरी 1997 में राज्य विधान सभा में दिए गए अभिभाषण में प्रदेश के राज्यपाल ने भी सात करोड़ की जनसंख्या के साथ स्थायित्व प्राप्त करने की सरकार की मंशा जाहिर की है। लेकिन गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति रही है, उसे देखते हुए क्या यह संभव हो पाएगा? प्रदेश में गत कुछ वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो राजनीतिक, प्रशासनिक एवं बौद्धिक इच्छा देखने में आई है तथा हाल ही में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में कई नवीन प्रयोग हुए हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि यह संभव है।

किन्तु जनसंख्या स्थायित्व एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसके लिए अनेक चरणों से गुजरना होता है। जनसंख्या स्थायित्व के लिए प्रथम चरण है प्रजनन दर में प्रतिस्थापन की अवस्था प्राप्त करना। एक अनुमान के मुताबिक पूर्ण प्रतिस्थापन की अवस्था के लिए कुल प्रजनन दर का 2.1 होना आवश्यक है अर्थात् प्रत्येक महिला के औसतन 2.1 बच्चे हों, जबकि 1995 के आकड़ों के अनुसार

राजस्थान में प्रत्येक महिला के बच्चों की औसत संख्या 4.3 थी। यदि जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करना है, तो यह प्रतिस्थापन की अवस्था 2011 तक प्राप्त करनी होगी। देश के कुछ राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु आदि ने यह अवस्था प्राप्त कर ली है।

क्या यह संभव है?

प्रजनन दर में प्रतिस्थापन 2011 तक तभी प्राप्त हो सकता है, जबकि 2005-6 तक प्रदेश के कुल प्रजनन योग्य दम्पतियों में से लगभग 65 प्रतिशत दम्पति परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करने लग जाएं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन साधनों का उपयोग एक निश्चित अनुपात में हो तथा यह उपयोग नियमित रूप से हो। वर्तमान में प्रदेश में करीब 35 प्रतिशत दम्पति ही परिवार नियोजन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। परिवार नियोजन का उपयोग 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत तक लाना, क्या इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? क्या इतने लोग परिवार नियोजन का उपयोग करना स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का वर्तमान ढांचा इसमें सक्षम होगा? क्या उसका प्रबंधकीय प्रारूप ठीक है?

ऐसा नहीं है कि प्रदेश के लोग अपने परिवार को नियोजित नहीं करना चाहते हैं। अनेक अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि अधिकांश दम्पति कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। 1993 में राजस्थान में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 15-49 आयुवर्ग की 90 प्रतिशत विवाहित महिलाएं कम से कम एक आधुनिक गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जानती थीं। तीन चौथाई महिलाओं को इस बात का पता था कि यह गर्भ निरोधक कहां मिलेगा। राजस्थान के संबंध में सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य है, यहां परिवार नियोजन साधनों के लिए छिपी हुई मांग या अपूरित मांग। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में करीब बीस प्रतिशत अर्थात् करीब 17 लाख दम्पति ऐसे हैं, जो और बच्चा नहीं चाहते हैं अथवा अगले बच्चे में कम से कम दो वर्ष का अन्तर रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी साधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध शोध संस्थान, जयपुर द्वारा राज्य में 1988 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे दम्पतियों की संख्या 15 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अपूरित मांग बढ़ रही है। और खास बात यह है कि यह अपूरित मांग विशेषतः गरीब व पिछड़े तबकों में पाई गई। राजस्थान के टौंक और दौसा जिलों में विकल्प परियोजना के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षणों से भी इसी प्रकार के तथ्य सामने आए कि इन जिलों में करीब 15-20 प्रतिशत दंपति अपने परिवार को नियोजित करना चाहते थे, किन्तु वे किसी साधन का प्रयोग नहीं कर रहे थे। इनमें से अधिकांश दम्पति अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के थे। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवार नियोजन की संभावनाएं राज्य में अत्यधिक हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रजनन योग्य दम्पतियों को उनकी आवश्यकतानुसार एवं इच्छित सेवाएं उपलब्ध करवा कर उनकी मांग को पूरा किया जाए।

आगे कैसे बढ़ें?

तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सरकार ने 7-8 करोड़ की जनसंख्या के साथ अगली शताब्दी के मध्य तक जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बना कर कार्य करना होगा। जनसंख्या वृद्धि चूंकि एक जटिल मुद्दा है तथा अनेक सामाजिक-आर्थिक तत्व इसे प्रभावित करते हैं, अतः जनसंख्या स्थायित्व की दिशा में केवल परिवार कल्याण कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों एवं क्षेत्रों को भी इसके लिए कार्य करना होगा।इस प्रकार जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मोटे तौर पर दो मोर्चों पर कार्य किया जाना आवश्यक है; एक तो छोटे परिवार के लिए वातावरण का निर्माण करना व दूसरा परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रबंध तथा सेवाएं देने के तरीकों को सुधारना।

(क्रमशः)

* देवेन्द्र कोठारी एवं
** अनूप खन्ना

* भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध शोध, संस्थान, जयपुर में प्रोफेसर एवं राज्य जनसंख्या समिति, राजस्थान सरकार के सदस्य हैं।

** भारतीय स्वास्थ्य प्रबंध शोध संस्थान, जयपुर में अनुसंधान अधिकारी हैं।